


14/06/23

पञ्जावली काठ पेसा हूँ। वकील खादीगण  
उपरिस्थित। विद्यापीठ काठ पेसा। विद्यापीठ  
के कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन  
काठ पेसा दिलाई गयी। काठ पेसा काठ पेसा  
दिलाने के अनुपस्थित रहे। विद्यापीठ  
के विद्वत् एक तरफ कार्यवाही की जा  
ये। वकील खादीगण के पञ्जावली पर चर्चा  
सुनी गयी। कोर्ट के लिखत जाकर  
सुनने न्यायालय सुनला गया। कोर्ट की  
पालनार्थ तहरीर जारी है। पालन प्राप्त  
होने पर शकिल पञ्जावली की जाये। पञ्जावली  
विधि सुनार होकर इतिहास इफ्तार है।

  
उपस्थित/आधिकारी, गुडामालनी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठारीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 21 / 2023

प्रार्थीगण :-

1. चैनाराम पुत्र लाभूराम  
जाति जाट निवासी देवलनगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. भैराराम पुत्र देराजराम
2. हुकमाराम पुत्र लाभूराम
3. आदूराम पुत्र लाभूराम
4. गिरधारीराम पुत्र हरजीराम
5. डूगराराम पुत्र लाभूराम  
जाति जाट निवासी देवलनगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—


दिनांक :- 14.06.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा देवलनगर पटवार क्षेत्र खडाली के खेत खसरा नम्बर 88, 89/1 रकबा क्रमशः 0.0162, 3.8202 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि देवलनगर पटवार क्षेत्र खडाली के खेत खसरा नम्बर 88, 89/1 रकबा क्रमशः 0.0162, 3.8202 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14/6/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

  
(रामप्रसाद जायसवाल कलबी)  
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

मांक: वाद/2023/685

दिनांक : 14/6/23

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

चैनाराम

भैराराम वगैरा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु  
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी


राजस्व आवेदन सं.....21/2023..

निर्णय दिनांक :- 14.06.2023

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम देवलनगर के खेत खसरा नम्बर 88, 89/1 रकबा क्रमशः 0.0162, 3.8202 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....गुडामालानी.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये ....500/-...प्रार्थी अदा करेंगे।


उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
गुडामालानी

दिनांक : 14/6/23

क्रमांक: वाद/2023/686-87  
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....RGA रावली नाडी नगर
3. हल्का पटवारी....खडाली. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण.....चैनाराम पुत्र लाभूराम
5. विप्रार्थीगण....भैराराम वगैरा....

  
उपखण्ड अधिकारी,  
गुडामालानी